संख्या- 8/2019/859/12-3-2019-100(61)/12टी.सी.

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 01 जुलाई 2019**

विषय:- **पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया के संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-553/12-3-2019-100(61)/12टी.सी., दिनांक 10.05.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 10.05.2019 के प्रस्तर-3 के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है कि-

(1) जो किसान पी0एम0 किसान सम्मान योजना की परिधि में आते हैं, उनके संबंध में पी.एम. किसान पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेख, जो राजस्व विभाग के तहसीलों में रखे गये हैं, ही मान्य होंगे। ऐसे किसानों से पृथक से किसी प्रकार का अभिलेख प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) केवल उन्हीं किसानों का अभिलेख प्राप्त किया जाना है, जो पी0एम0 किसान सम्मान योजनान्तर्गत लाभार्थी नहीं है और उनका पी0एम0 किसान योजना में पंजीकरण व सत्यापन करतेहुए अभिलेख तहसील के अभिलेखागार में सुरक्षित नहीं रखा गया है।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसानों से योजनाओं में डी0बी0टी0 का लाभ देने के लिए वैलिडेशन हेतु बार-बार अभिलेख न मांगे जाये।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

सं0-8/2019/859(1)/12-3-19-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, गन्ना विभाग, उ0प्र0 शासन। ।
5- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- प्रमुख सचिव, दुग्ध विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
13- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
14- निजी सचिव, मा0 कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन।
15- ग्राम्य विकास आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
16- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
17- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
18- महानिदेशक, उपकार, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

19- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 एग्रो, उ0प्र0 लखनऊ।

20- प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।

21- प्रबंध निदेशक, बीज विकास निगम, उ0प्र0 लखनऊ।

22- प्रबंध निदेशक, यू.पी. स्टेट एग्रो।

23- निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था, उ0प्र0 लखनऊ।

24- निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।

25- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।

26- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को ई-मेल से तत्काल प्रेषित करते हुए इसे कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाय तथा 02 दिन के पश्चात इस सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर आवश्यक निर्देश दिये जायें।

27 समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

28- समस्त अपर कृषि निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ।

29- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0।

30- समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।

31- समस्त उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, उ0प्र0।

32- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0।

33- समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उ0प्र0।

34- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है